[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्यां 51/2021- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "एल्यूमीनियम फोइल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 7607 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/21/2020-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2021, जिसे दिनांक 18 जून, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत, अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तु का निर्यात विषयगत देश से भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था;
(ii) इन विषयगत देशों से इस विषयगत वस्तु के आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रति□पाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7607	*एल्युमीनियम फोइल, 80 माइक्रोन या इससे कम के	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	जिआंग्सू झोंगजि लेमिनेशन मटेरियल्स कं.लि.	506.81	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शंघाई सनहो एल्यूमिनियम फोइल कं, लिमिटेड	398.45	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	523.67	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	हांग्जो फाइव स्टार एल्युमिनियम कं, लिमिटेड	523.67	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	मेसर्स जिआंगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड,	510.24	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	मैसर्स कुशन एल्युमिनियम कं, लिमिटेड	577.59	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 से 6 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	976.99	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8.	-तदैव-	-तदैव-	जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	976.99	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	थाई डिंग ली न्यू मटेरियल्स कं, लिमिटेड	100.07	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	डिंगहेंग न्यू मटेरियल्स कं, लिमिटेड	100.07	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	मेसर्स लॉफ्टन (थाईलैंड) कं, लिमिटेड	93.53	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	मेसर्स वरोपाकोर्न पब्लिक कंपनी लिमिटेड	178.47	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
13.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 9, 10, 11 और 12 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	339.93	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से भिन्न कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	339.93	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
15.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	कोई भी देश	कोई भी	850.45	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
16.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से भिन्न कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	850.45	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
17.	-तदैव-	-तदैव-	इंडोनेशिया	कोई भी देश	कोई भी	422.28	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
18.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से भिन्न कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	422.28	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

* एल्युमीनियम फोइल, चाहे वे प्रिंटेड या पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक्स या इसी प्रकार की पैकिंग सामग्री से बैक्ड हो अथवा नहीं, जिनकी मोटाई 80 माइक्रोन या इससे कम हों (अनुज्ञेय सहिष्णुता तक), जिसमें निम्नलिखित नहीं आते हैं:

(i) एल्युमीनियम फोइल जिनकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक हो और जिनका उत्पादन चीन में हुआ हो ।

(ii) एलु एलु लेमिनेट – 40-50 माइक्रोन के एलु एलु लेमिनेट, जो AA8079 और AA8021 के अंतर्गत आते हैं, एक ऐसा बहु सतह वाले अर्द्ध पारदर्शी हैं जो कि एल्युमीनियम से लेमिनेट होते हैं और इनके दोनो ओर प्लास्टिक फिल्म चिपकाई गई होती है; इनका उपयोग कैप्सूल/टेबलेट्स की पैकिंग में किया जाता है ।

(iii) अल्ट्रा लाइट गेज कंवर्टेड – अल्ट्रा लाइट गेज कंवर्टेड ऐसा एल्युमीनियम फोइल है जिसकी मोटाई 5.56 माइक्रोन से 7 माइक्रोन तक होती है जिस पर क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम या ग्लास क्लोथ चिपकाया गया होता है, चाहे ये सादे हों या प्रिटिंड, और इनका उपयोग इंसुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन्स कवरिंग और टी-बैग्स में होता है ।

(iv) एल्युमीनियम फोइल कम्पोजिट- एल्युमीनियम फोइल जो कि क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रीम या ग्लास क्लोथ से लेमिनेटेड हों या बैक्ड हों, चाहे इसमें पॉली एथिलीन हो या नहीं, चाहे ये प्रिंटिड हो या नहीं । हालांकि क्राफ्ट पेपर से लेमिनेटेड या बैक्ड एल्युमिनियम फोइल को विचारार्थ उत्पादों और प्रस्तावित उपायों के दायरे में रखा गया है ।

(v) कैपसिटर्स में काम आने वाले एल्युमीनियम फोइल, जिनकी चौड़ाई 500 मिली मीटर से कम हों – कैपसिटर्स में काम आने वाले एल्युमीनियम फोइल जो कि 5 माइक्रोन गेज के हों, जिनकी चौड़ाई 500 मिली मीटर से कम हों, जिनकी शुद्धता 99.35% हों, जो कि इलेक्ट्रिकल उपकरणों जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव ओवेन, इलैक्ट्रिकल वैल्डर्स, मैगनिटोस, इलैक्ट्रोनिक टेस्टिंग उपकरण, कॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, फ्लोरोसेंट लाइट्स, मरकरी वेपर स्ट्रीट लैम्पस्, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, इलैक्ट्रिक मोटर्स, कंट्रोल यूनिट्स और इसी प्रकार की वस्तुओं में प्रयोग किए जाते हैं ।

(vi) ईच्ड अथवा फॉर्म्ड एल्युमीनियम फोइलस : ईच्ड अथवा फॉर्म्ड एल्युमीनियम फोइलस ऐसे एल्युमीनियम फोइलस होते हैं जिनका प्रयोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपसिटर्स के निर्माण में किया जाता है ।

(vii) एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल – एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल ऐसा नॉन – एल्युमीनियम कोर (प्राय: जिसे पीई कहा जाता है) होता है जो कि एल्युमीनियम की दो पतली सतहों के बीच बंधा होता है । इसका प्रयोग फेकेड क्लेडिंग और साइनेज में किया जाता है ।

(viii) क्लेड विद कम्पेटिबल नॉन क्लैड एल्युमीनियम फोइल: क्लैड विद कम्पेटिबल नॉन क्लैड एल्युमीनियम फोइल एक क्षरणरोधी एल्युमीनियम शीट होता है जो कि धातु विज्ञान की सहायता से एल्युमीनियम की सतह से बनाया जाता है, जिसे बहुत ही मजबूत एल्युमीनियम एलोय कोर पदार्थ से बंधा गया होता है । जिसका उपयोग इंजन की कूलिंग में और और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के एयर कंडीशनर सिस्टम में किया जाता है, जैसे कि रेडिएटर, कंडेंसर, ईवैपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर ।

(ix) बीयर बोतल का एल्युमीनियम फोइल- एल्युमीनियम फोइल जो कि 10.5 माइक्रोन के हों, जिनकी सतह खुरदरी या छिद्र युक्त हों, चाहे ये प्रिंटेड हों या नहीं, जिनका उपयोग बीयर बोतल में किया जाता हो ।

(x) एल्युमीनियम – मैंगनीज – सिलिकॉन आधारित/या क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित एलॉय, चाहे ये क्लैड हों या नहीं, जिनकी पोस्ट ब्रेजिंग यील्ड स्ट्रेंथ 35 MPA से अधिक हो, जो कि टैरिफ शीर्षक 7607 के अंतर्गत आती हो, जिनका प्रयोग हीट

एक्सचेंजर्स, जिनमें रेडिएटर्स, चार्ज एयर कूलर्स, कंडेनशर्स, ऑयल कूलर्स, हीट कोर्स, इवैपोरेटर्स, हीट वेंटिलेशनस् और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और उनके कलपुर्जे आते हैं, में किया जाता है ।

(xi) एल्युमीनियम फोइल एढेसिव टेप्स – ऐसा एढेसिव टेप्स एल्यूमीनियम फोइल (जो कि 80 माइक्रोन से कम हो) जिसकी एक या दोनों तरफ एढेसिव की कोट की गई हो और जिनका उपयोग टेप के रूप में किया जाता हो ।

(xii) कलर कोटेड एल्युमीनियम फोइल – एल्युमीनियम फोइल जिस पर या तो पीई (पोलिएस्टर) की या पीवीडीएफ (फ्लोरिन कार्बन) की कोटिंग की गई हो, जो कि CTH 7607 के अंतर्गत आता है ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी 190354/169/2021-टीओ (टीआरयू-I)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार